

34.12 स्टोरेज टैंक का पुनः सत्यापन कराने के संबंध में आवेदन
(विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के अंतर्गत)

चरण-1	आवेदन कब करें ? स्टोरेज टैंक को पुनः सत्यापित कराना हो।
चरण-2	आवेदन कौन कर सकता है ? स्टोरेज टैंक का पुनः सत्यापन कराने वाले व्यक्ति।
चरण-3	अ- आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज (स्कैन कर अपलोड करें) 1. पूर्व में जारी सत्यापन प्रमाण पत्र की प्रति। (वैकल्पिक) 2. प्रस्तुत किये जा रहे उपकरण में यदि सुधार कार्य करवाया गया है तो संबंधित सुधारक की रिपोर्ट / गेटपास की प्रति। (वैकल्पिक)
चरण-4	आवेदन के साथ शुल्क ? आवेदन के साथ मध्यप्रदेश विधिक मापविज्ञान नियम, 2011 की अनुसूची – आठ में निर्धारित शुल्क।
चरण-5	शुल्क कैसे जमा करें ? आनलाईन आवेदन करते समय उपलब्ध लिंक से।
चरण-6	आवेदन कैसे करें ? ऑन लाईन आवेदन हेतु लिंक ----- http://mpedistrict.gov.in/Public/index.aspx पोर्टल पर सिटीजन लॉगिन के माध्यम से
चरण-7	अनुमोदन की समय-सीमा ? ऑन लाईन आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में – स्टोरेज टैंक का पुनः सत्यापन - 15 कार्य दिवस के अंदर
चरण-8	सत्यापन प्रमाण-पत्र कैसे प्राप्त करेगा ? STEP-1 : http://mpedistrict.gov.in/Public/index.aspx Link पर Click करें STEP-2 : इसके पश्चात पंजीकृत आवेदन खोजें पर Click करें STEP-3 : Show / File Movement के नीचे View पर Click करें STEP-4 : File के नीचे View पर Click करें STEP-5 : Correspondance के आखिरी नंबर को Click करें

चरण-9	अपीलीय अधिकारी:- संबंधित उप / सहायक नियंत्रक नाप-तौल अपील कब करें – आवेदक का आवेदन बगैर किसी कारण से निरस्त करने या समय सीमा में आवेदन का निराकरण नहीं करने पर आवेदक अपील करेगा।
चरण-10	डिजीटल हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण-पत्र का सत्यापन:- STEP-1 : http://mpedistrict.gov.in/Public/index.aspx Link पर Click करें STEP-2 : डिजीटल हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट जांचे पर Click करें

कार्यालय नियंत्रक, नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान) म.प्र. भोपाल

सेवा क्रमांक :- 34.12

आवेदक द्वारा नाप-तौल उपकरणों के पुनः सत्यापन स्टोरेज टैंक हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र पर नाप-तौल (विधिक मापविज्ञान), विभाग द्वारा परीक्षण एवं तदोपरांत की जाने वाली कार्यवाही का फ्लोचार्ट :-

